



Meticulous Investigation & Prosecution



BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी लीलू को हुई 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त लीलू पुत्र ज्ञानचन्द निवासी ग्राम बम्बावड थाना बादलपुर जनपद गौतमबुद्धनगर के विरुद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 1261/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा10 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 18.09.2024 को मा10 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त लीलू को 03 वर्ष के कारावास व 05 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

 @baghpatpolice

 baghpatpolice

 Baghpat Police





प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 18.09.2024

थाना खेकडा पुलिस ने 05 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा 05 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-मौहम्मद पुत्र खुसी नि0 मौ0 शेखपुरी रतौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 2-इस्लाम पुत्र करमुदीन निवासी कस्बा रतौल थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 3-शेखर पुत्र धनपाल सिंह निवासी मौहल्ला विजयनगर कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 4-आसिफ पुत्र सिराज निवासी नानू रोड मौ0 काशीराम कालोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत
- 5-पवन पुत्र शुखपाल सिंह निवासी नानू रोड मौ0 काशीराम कालोनी कस्बा व थाना खेकड़ा जिला बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-उ0नि0 श्री सत्यवीर सिंह
- 2-उ0नि0 श्री विकास कुमार

3-उ0नि0 यूटी श्री दिग्विजय सिंह

4-है0का0 497 राधेश्याम

5-का0 685 दीपक कुमार

6- का0 04 रवि कुमार

7- है0का0 53 रविन्द्र कुमार

8-का0 1075 मनीष कुमार

9-का0 911 श्यामवीर सिंह

10-का0 535 अतुल कुमार

11-का0 555 रवि कुमार



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 18.09.2024

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 295/24 धारा 127(2)/109/ 351(2)
बीएनएस से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.24 को थाना खेकडा पर वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सतीश पुत्र ओमबीर, 2.अनुज पुत्र कृष्ण उर्फ लल्ला निवासी वार्ड न0 20 इन्द्रापुरी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत व 02 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिया के जेठ अनिल पुत्र स्व0 श्री करतारे को कमरे में बन्धक बनाकर जान से मारने की नियत से लाठी-डन्डो से मारपीट करते हुए कुत्ते से कटवाया व



बन्दूक दिखाते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 295/24 धारा 127(2)/109/ 351(2) बीएनएस-2023 पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 295/24 धारा 127(2)/109/351(2) बीएनएस-2023 से सम्बन्धित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सतीश पुत्र ओमबीर निवासी वार्ड न0 20 इन्द्रापुरी करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 अबरार हुसैन थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 2- उ0नि0 श्रीपाल सिंह थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 3- म0उ0नि0 राधा थाना खेकडा जनपद बागपत।





प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.09.2024

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 04 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 04 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम पता-

- 1-करन पुत्र बलजीत निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना व जनपद बागपत
- 2-कर्मवीर पुत्र बलजीत बलजीत निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना व जनपद बागपत ।
- 3-मुकेश पुत्र कंवर सिंह बलजीत निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना व जनपद बागपत ।
- 4-गुलमेन्द पुत्र सन्तरपाल बलजीत निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना व जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 422 राजन सिंह थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 333 नितेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।